

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला, श्रीगंगानगर

हरजिन्द्र सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 53 आरटीए नम्बर 162 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/282

| | | |
|------------|-----------------------------------|--|
| तामिल हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|-----------------------------------|--|

28.08.2024

वादी हरजिन्द्र सिंह पुत्र जतन सिंह जाति जटसिख जरिए मुखत्यारेआम लखविन्द्र सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी उसमानखेडा फाज्लिका जिला फाज्लिका पंजाब की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 48, 49, 53, 91 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.09.2024 को पेश हो।

24/9/24

वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी स. 1, 2 की तलबी आरिएर, 3, 4, 5 की तलबी पुत्र पर होकर प्राप्त। श्रीमान 10 प्रतीक प्रतीक पर हो। पत्रावली दिनांक 22/10/24 को पेश हो Karnal

22/10/24

वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 18/11/24 को पेश हो Karnal

18/11/24

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को भक-2 कर 3 बार आवाज लगवाई गई कोर उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अदम्य पेशवी, अदम्य तायरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्गति होकर नम्बर से कम होकर वापिस फुतर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर